

मत्स्य निदेशालय

नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु०),
मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।

मत्स्य/पटना, दिनांक 09.02.2026

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की पूरक योजना हेतु स्वीकृत ₹1042.2720 लाख (दस करोड़ बयालीस लाख सताईस हजार दो सौ रुपये) मात्र के अन्तर्गत तृतीय चरण में ₹364.79520 लाख (तीन करोड़ चौसठ लाख उनासी हजार पाँच सौ बीस रुपये) मात्र व्यय हेतु आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न अनुलग्नक-I के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना हेतु व्यय को वहन करने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6 एस0एस0 (6) 37/2023-2357 दिनांक-28.05.2025 के आलोक में कुल स्वीकृत राशि ₹1042.2720 लाख (दस करोड़ बयालीस लाख सताईस हजार दो सौ रुपये) मात्र के अन्तर्गत तृतीय चरण में ₹364.79520 लाख (तीन करोड़ चौसठ लाख उनासी हजार पाँच सौ बीस रुपये) मात्र का आवंटन, व्यय का वहन करने हेतु आवंटित किया जाता है।

2. इस आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0101-मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड-02.2405007890101 विषय शीर्ष-0101.33.01-सब्सिडी मद के अंतर्गत स्वीकृत राशि का विकलन किया जाएगा।
3. योजनान्तर्गत आवंटित राशि को बी0एल0डी0ए0 के पी0एल0 खाता में संचित कर व्यय की जाएगी जिसे लक्ष्यानुसार जिलों को अंतरित किया जाएगा।
4. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि0(2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम-475 का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।
6. आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा इसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25.03.2026 तक अवश्य भेज दें।
8. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।
9. निकासी की गई राशि का विस्तृत विपत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत समर्पित किया जाएगा।


अनुलग्नक :- अनुलग्नक-I (एक प्रति)

विश्वासभाजन

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांक : म०/बजट -04/202585...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /


प्रतिलिपि : अनुलग्नक-1 की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट -04/202585...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /


प्रतिलिपि : अनुलग्नक-1 की प्रति के साथ सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट -04/202585...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /


प्रतिलिपि : अनुलग्नक-1 की प्रति के साथ संबंधित जिला पदाधिकारी/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट -04/202585...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /


प्रतिलिपि : अनुलग्नक-1 की प्रति के साथ जिला मत्स्य पदाधिकारी (संबंधित)/उप मत्स्य निदेशक (संबंधित)/संयुक्त मत्स्य निदेशक (संबंधित), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट -04/202585...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /


प्रतिलिपि : अनुलग्नक-1 की प्रति के साथ विभागीय योजना एवं बजट शाखा, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग/मत्स्य निदेशालय के बजट एवं लेखा शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट -04/202585...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /


प्रतिलिपि : अनुलग्नक-1 की प्रति के साथ सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट -04/202585...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।



निदेशक मत्स्य,



अनुलग्नक-I


वित्तीय वर्ष 2025-26 में पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की "पूरक योजना"।


(राशि लाख में)

क्र०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	माँग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0101- मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड 02-2405007890101 विषय शीर्ष 0101.33.01- सब्सिडी मद		
			अनु० जाति		
			भौतिक लक्ष्य (यूनिट)	स्वीकृत अनुदान राशि	वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
1	बाँका	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना।	25.00	206.800	72.38000
2	औरंगाबाद		5.00	41.360	14.47600
3	गया		2.00	16.544	5.79040
4	कैमूर		10.00	82.720	28.95200
5	नवादा		18.00	148.896	52.11360
6	जमूँई		59.00	488.048	170.81680
7	मुंगेर		2.00	16.544	5.79040
8	रोहतास		5.00	41.360	14.47600
कुल :-			126.00	1042.27200	364.79520

कुल 3,64,79,520/- (तीन करोड़ चौसठ लाख उनासी हजार पाँच सौ बीस रु० मात्र)

नोट-संबंधित जिलों को लक्ष्य के अनुसार बी०एल०डी०ए० के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जाएगी।




निदेशक मत्स्य